UPBB010055802024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) बाराबंकी।

पीठासीन अधिकारी–असद अहमद हाशमी, (एच०जे०एस०) – UP6327

सत्र वाद संख्या–1356/2024

राज्य उत्तर प्रदेश .... अभियोजन पक्ष।

बनाम

सुकई पुत्र कन्धई, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम तेलवाय, थाना मोहम्मदपुरखाला, जिला बाराबंकी। .... अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–2264/2020
धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी।

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सुकई के विरूद्ध थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–2264/2020, धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिए जाने के उपरान्त विचारण प्रारम्भ किया गया।

अभियोजन पक्ष का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2020 को समय लगभग 14.46 बजे, बहद ग्राम तेलवाय, थाना मोहम्मदपुरखाला, जिला बाराबंकी में वादी मुकदमा कमलेश्वर प्रसाद यादव प्र०नि० प्रवर्तन दल एवं उनकी टीम के द्वारा चेकिंग किये जाने के दौरान अभियुक्त सुकई को अपने परिसर पर बिना बकाया बिल जमा किये पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अनाधिकृत रूप से विद्युत केबिल जोड़ कर विद्युत का उपयोग करते पाया गया। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला बाराबंकी में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियुक्त को धारा–207 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान की गयीं तथा उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर उसे धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 अतुल श्रीवास्तव कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड घोसियाना जिला बाराबंकी को परीक्षित कराया गया है।

Digitally signed by ASAD A HASHMI
Date: 2026.06.01 15:15:00 IST
Reason: Judgment
Location: Spl Judge (E.C. Act)
Barabanki.

अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में मूल तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित कराया गया है। बचावपक्ष द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों चिक एफ०आई०आर०, कायमी जी०डी०, नक्शा नजरी व आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप उन पर क्रमशः प्रदर्श क–2 ता प्रदर्श क–5 अंकित किये जाने के उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा अभियोजन प्रपत्रो की सत्यता स्वीकार की तथा गवाह के विभागीय होने के कारण विपरीत साक्ष्य देने का कथन किया एवं मुकदमा उसके विरूद्ध बिना बकाया विद्युत बिल जमा किये पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अनाधिकृत रूप से विद्युत केबिल जोड़ कर विद्युत का उपयोग करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसके द्वारा विद्युत विभाग में मुकदमे से संबंधित बकाया राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। मुकदमे से संबंधित देय शेष नहीं है।

अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू.–1** अतुल श्रीवास्तव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै वादी मुकदमा कमलेश्वर प्रसाद यादव (तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तल दल) को भली भांति जानता व पहचानता हूं, ये मेरे साथ जनपद में कार्यरत रहे है। कार्यालय पर मैने इन्हे लिखते पढ़ते देखा है, मैं इनके हस्ताक्षर व हस्तलेख से भलीभाति परिचित हूं। पत्रावली में शामिल छायाप्रति तहरीर कागज संख्या अ–5/4 पर जांच टीम के अन्य सदस्यों के साथ उनके भी हस्ताक्षर भी बने हैं। जिसकी पहचान कर मै उसे प्रमाणित करता हूं। साक्षी द्वारा प्रमाणित वादी मुकदमा के हस्ताक्षर युक्त् तहरीर पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त के परिसर पर की गयी जांच दिनांकित 06.11.2020 से संबंधित दर्ज अपराध के सापेक्ष अभियुक्त द्वारा प्रकरण से संबंधित राजस्व बकाया मु० 2000/– रूपया जरिये रसीद संख्या–945404388868 दिनांकित 11.02.2026 को, 10569 रूपया जरिये रसीद संख्या–945483493294 दिनांक 12.02.2026 को एवं वांछित शमन शुल्क मु० 2000/– रूपया जरिये रसीद संख्या 539149890585 दिनांक 13.02.2026 को जमा कर विद्युत वितरण खण्ड रामनगर द्वारा उक्त विवरण अंकित करते हुए अदेयता पत्रांक संख्या 4554 दिनांकित 13.02.2026 जारी किया गया है जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता हरिपाल सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है। अभियुक्त का मुकदमे से संबंधित कोई बकाया शेष नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से विद्युत विभाग द्वारा जारी भुगतान संबंधी प्रपत्र एवं रसीदे दाखिल की गई है।

साक्षी पी.डब्लू.–1 के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, परिस्थितियों एवं सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपना यह

कथानक कि विद्युत बकाये के आधार पर विच्छेदित किये गये विद्युत संयोजन को बकाया धनराशि अदा किये बिना घटना दिनॉक को अभियुक्त अवैध रूप से स्वयं संयोजित कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया, को युक्तियुक्त सन्देह से परे स्थापित एवं प्रमाणित किया है। किन्तु इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा किया जा चुका है, इस आशय का विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रपत्र भी बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किया गया है।

अभियोजन द्वारा इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई वाद पूर्व में शमन शुल्क जमा करने के आधार पर निर्णीत किया गया हो। ऐसी स्थिति में विद्युत अधिनियम की धारा 152(3) के अनुसार इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि का कोई आधार नही है।

अतः अभियुक्त सुकई, धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से, इस अधिनियम की धारा 152(3) के अनुक्रम में, दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुकई पुत्र कन्धई, निवासी ग्राम तेलवाय, थाना मोहम्मदपुरखाला, जिला बाराबंकी, को धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम (संशोधन), 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(असद अहमद हाशमी)
दिनांक: 01.06.2026 विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।
J.O. Code UP 6327

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(असद अहमद हाशमी)
दिनांक: 01.06.2026 विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
बाराबंकी।
J.O. Code UP 6327